



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14886-DB

आरक्षित तिथि: 13.01.2026

निर्णय तिथि: 21.01.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील सं. - 485 वर्ष 1990

पप्पू @ तेज कुमार

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अंकित गौर, आर.एस. तिवारी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : ए.जी.ए., मनु राज सिंह, निधि सिंह

चैंबर में

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय

(माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ द्वारा प्रदत्त)

1. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान न्यायमित्र सुश्री संध्या शर्मा; सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग सिंह; और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. 1st श्री सुशील कुमार पांडे को सुना, तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

2. यह आपराधिक अपील, विशेष न्यायाधीश, डी.ए.ए., कानपुर देहात द्वारा सत्र विचारण सं. 88 सन् 1987 (राज्य बनाम पप्पू और अन्य) में दिनांक 08.03.1990 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत अपीलकर्ता को भा.दं.सं. की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है।

3. एफ.आई.आर. (प्रदर्श क-1) और कोर्ट में पेश किए गए सबूतों के आधार पर अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि मृतक नन्हे लाल और देवी प्रसाद शुक्ला के बीच प्रधान के चुनाव को लेकर दुश्मनी थी। इसी वजह से, देवी प्रसाद शुक्ला और आरोपी पप्पू वगैरह ने इस घटना से पहले नन्हे लाल और उसके भाई राम नाथ (पीडब्लू-1) को पीटा था। पप्पू एवं अन्य के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी और पुलिस ने उस मामले में उनके खिलाफ आरोपत्र दाखिल की थी। आगे यह भी आरोप है कि 14.02.1987 को शाम करीब 07:30 बजे, मृतक नन्हे लाल, गांव शाहजहांपुर, थाना भोगनीपुर में राम प्रकाश के होटल में मौजूद था और चाय पी रहा था। उस होटल में एक बिजली का बल्ब जल रहा था। आरोपी पप्पू उर्फ तेज कुमार, जिसके पास पिस्तौल थी, और बारे उर्फ रमेश होटल में आए। पप्पू उर्फ तेज कुमार ने अपनी पिस्तौल से नन्हे लाल पर गोली चलाई। गोली मृतक की गर्दन में जा लगी। उसे चोटें आईं। इस घटना को होटल के मालिक राम प्रकाश, लालजी, महेश और राम अवतार ने अपनी आंखों से देखा, जो उस समय वहां मौजूद थे। मृतक पर गोली चलाने के बाद आरोपी सती की तरफ भाग गए। उनका पीछा किया गया, लेकिन वे पकड़े नहीं जा सके। नन्हे लाल को पुलिस थाने ले जाया गया, जहां राम नाथ ने तहरीर (प्रदर्श क-1) दी। नन्हे लाल की हालत गंभीर थी। उसे पहले पुंखराया अस्पताल ले जाया गया और वहां से यू.एच.एम. अस्पताल, कानपुर ले जाया गया। उसके मामले को एल.एल.आर. अस्पताल, कानपुर रेफर किया गया और वहां से उसे मेडिकल कॉलेज, लखनऊ ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जो मामला मूल रूप से भा.दं.सं. की धारा 307 के तहत दर्ज किया गया था, उसे बाद में भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत बदल दिया गया।

4. पुलिस ने सभी सामान्य औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद, ऊपर बताए गए दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोपत्र पेश किया। दोनों आरोपियों पर भा.दं.सं. की धारा 302/34 के तहत आरोप

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



लगाए गए। उन्होंने इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया और खुद को निर्दोष बताया। अपने मामले के समर्थन में, अभियोजन पक्ष ने विचारण न्यायालय के सामने 7 गवाहों की गवाही करवाई।

5. पीडब्लू-1, राम नाथ, शिकायतकर्ता है जो मृतक नन्हे लाल का भाई है। उसने ऊपर बताए अनुसार अभियोजन पक्ष का पूरा मामला सामने रखा है। उसने बताया है कि प्रधान के चुनाव को लेकर नन्हे लाल और देवी प्रसाद के बीच दुश्मनी थी। घटना वाले दिन, नन्हे लाल, राम प्रकाश के होटल में बैठा था; महेश, लालजी और राम अवतार भी होटल में मौजूद थे। वह भी वहाँ पहुँच गया था। शाम लगभग 07:30 बजे, पप्पू उर्फ तेज कुमार और रमेश होटल आए। उन दोनों के पास देसी पिस्तौलें थीं। तेज कुमार ने अपनी पिस्तौल से नन्हे लाल पर गोली चलाई और गोली नन्हे लाल की गर्दन में लगी। उस समय दुकान पर बिजली का बल्ब जल रहा था। नन्हे लाल नीचे गिर गया। इसके बाद, आरोपी व्यक्ति वहाँ से भाग निकले। वह अपने भाई को टैक्सी से भोगनीपुर ले गया। उसने घटना की एक तहरीर तैयार की, जो प्रदर्श क-1 है। नन्हे लाल को पुखरायां ले जाया गया। हालाँकि, पुखरायां के मेडिकल ऑफिसर ने उन्हें यू.एच.एम. अस्पताल, कानपुर जाने की सलाह दी। मामले को एल.एल.आर. अस्पताल रेफर किया गया और वहाँ से नन्हे लाल को लखनऊ (मेडिकल कॉलेज) भेज दिया गया। नन्हे लाल की मेडिकल कॉलेज, लखनऊ में चार दिन बाद, यानी 18 तारीख (फरवरी) को मृत्यु हो गई।

6. पीडब्लू-2, राम प्रकाश, उस होटल का मालिक है जहाँ यह घटना घटित हुई थी। उसने पीडब्लू-1, राम नाथ की गवाही और अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि की।

7. पीडब्लू-3, डॉ. वाई.एन. पाठक, जो उस समय लखनऊ के सिविल अस्पताल में सर्जन थे, ने नन्हे लाल के शव का पोस्टमार्टम किया और रिपोर्ट प्रदर्श क-2 तैयार की। इस रिपोर्ट की प्रामाणिकता को आरोपी के अधिवक्ता ने धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत स्वीकार कर लिया था। इसलिए, चोटों का विवरण डॉ. पाठक के बयान में दर्ज नहीं किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क-2 के अनुसार, नन्हे लाल के शव पर निम्नलिखित 'एंटी-मॉर्टम' (मृत्यु-पूर्व) चोटें और अन्य विवरण पाए गए:-

मृत्यु पूर्व चोटें

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



(i) गर्दन के पिछले हिस्से में, मध्य-रेखा (mid-line) के बाईं ओर, जड़ के पास 5 सेमी x 3 सेमी x हड्डी तक गहरी, गोली प्रवेश का फटा हुआ घाव; साथ ही सी-6 और सी-7 सर्वाइकल कशेरुकाओं (रीढ़ की हड्डियों) में फ्रैक्चर था। चोट से 47 छर्रे बरामद किए गए।

आंतरिक परीक्षण:-

खोपड़ी के दोनों ओर 'स्कल ट्रैक्शन बर-होल' मौजूद था, जिसे संभवतः न्यूरो सर्जन ने इलाज के लिए किया होगा। सी-6 और सी-7 सर्वाइकल कशेरुकाओं में फ्रैक्चर मौजूद था। चोट सं. 1 एक मृत्यु पूर्व चोट थी।

8. पीडब्लू-4, यू.एच.एम. अस्पताल, कानपुर के डॉ. एस.एन. अहमद ने नन्हे लाल की जाँच की थी, जब उसे 14/15.02.1987 की दरमियानी रात 12:45 बजे घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया था। उन्होंने उनके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई :-

(i) गर्दन के पिछले हिस्से में, ठीक बीच में (mid-line) और जड़ के पास, 3 सेमी x 3 सेमी का एक फटा हुआ घाव था, जिसकी गहराई की जाँच नहीं की गई थी। वहाँ कोई कालापन या टैटू जैसा निशान मौजूद नहीं था।

(ii) पीठ के बाईं ओर 2.5 सेमी x 1.5 सेमी का एक खुरसट था। यह चोट सं. 1 से 4 सेमी नीचे और बाईं ओर स्थित था।

डॉ. अहमद ने बताया कि ये सभी चोटें ताज़ा थीं।

चोट सं. 2 सामान्य प्रकृति की थी, जो किसी कठोर वस्तु से रगड़ लगने के कारण हुई थी। चोट सं. 1 को निगरानी में रखा गया था। उन्होंने चोट रिपोर्ट प्रदर्श क-3 को भी प्रमाणित किया है।

9. पीडब्लू-5, एस.आई. दया राम वर्मा ने इस मामले की विवेचना की थी। उन्होंने चिक एफ.आई.आर. (प्रदर्श क-4) को साबित किया। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने 14.02.1987 को मामले की जाँच शुरू की थी और अपनी केस डायरी में नन्हे लाल का बयान दर्ज किया था। नन्हे लाल की मृत्यु हो चुकी है। उनके द्वारा दर्ज किए गए बयान की प्रति प्रदर्श क-5 है, जो केस डायरी में लिखे गए बयान की सत्य प्रतिलिपि है। उन्होंने घटना स्थल का नक्शा (प्रदर्श क-6) भी तैयार किया था और खून से सनी हुई तथा सादी मिट्टी को अपने कब्जे में लेकर मेमो (प्रदर्श क-7)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



तैयार किया था। उन्होंने आगे बताया कि 24.03.1987 को शिकायतकर्ता, राम नाथ ने पुलिस थाने में एक आवेदन दिया था कि उनके भाई की मृत्यु 18.02.1987 को लखनऊ के अस्पताल में हो गई थी। इसकी एक प्रविष्टि जनरल डायरी में की गई थी। इसकी कार्बन प्रति प्रदर्श क-7A थी। उन्होंने 12.04.1984 को लखनऊ से मृतक, नन्हे लाल की मृत्यु के संबंध में एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। इसके बाद, उनका तबादला हो गया था।

10. पीडब्लू-6, एस.आई. श्री डी.पी. सिंह ने इस मामले की आंशिक जाँच की थी। उन्होंने जी.डी. प्रदर्श क-8 को साबित किया। जाँच पूरी होने के बाद, उन्होंने आरोप-पत्र प्रदर्श क-9 प्रस्तुत किया था।

11. पीडब्लू-7, हेड कांस्टेबल कृष्ण पाल गुप्ता ने चिक एफ.आई.आर. (प्रदर्श क-4) लिखी थी और जी.डी. (प्रदर्श क-8) की प्रति दाखिल की थी।

12. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने धारा 294 दं.प्र.सं. के अंतर्गत पंचायतनामा (प्रदर्श क-10), शव भेजने संबंधी पत्र (प्रदर्श क-11), शव की फोटो (प्रदर्श क-12) और मृतक नन्हे लाल की मृत्यु के संबंध में गांधी मेमोरियल अस्पताल, लखनऊ के चिकित्सा अधिकारी द्वारा भेजी गई सूचना (प्रदर्श क-13) की प्रामाणिकता को स्वीकार कर लिया था।

13. आरोपियों ने दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत दर्ज अपने बयानों में अभियोजन पक्ष के आरोपों को झूठा बताया। आरोपी पप्पू उर्फ तेज कुमार ने कहा कि राम नाथ की उससे दुश्मनी थी। गवाहों में से कोई भी उसे पहले से नहीं जानता था, और उसने अपनी पहचान परेड के लिए आवेदन दिया था, लेकिन वह नहीं कराई गई। बारे उर्फ रमेश ने कहा कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

14. आरोपियों ने अदालत में श्री पी.के. अग्रवाल, सी.जे.एम., कानपुर देहात को बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर पेश किया। उन्होंने बताया कि 20.06.1987 को उन्होंने शिकायतकर्ता राम नाथ का बयान, शिकायतकर्ता राम नाथ बनाम तेज कुमार मामले में, धारा 200 दं.प्र.सं. के तहत दर्ज किया था। यह बयान प्रदर्श ख-1 था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



15. अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान न्यायमित्र ने यह दलील दी है कि यह मामला मृतक को देर से इलाज दिए जाने का है; क्योंकि गोली लगने के बाद, गंभीर हालत होने के बावजूद उसे पहले पुलिस थाने ले जाया गया, फिर वहां से पुंखराया अस्पताल और उसके बाद यू.एच.एम. अस्पताल, कानपुर ले जाया गया। वहां से उसे एल.एल.आर. अस्पताल, कानपुर रेफर कर दिया गया और अंत में उसे मेडिकल कॉलेज, लखनऊ ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। यदि उसे तुरंत मेडिकल कॉलेज, लखनऊ ले जाया गया होता, तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने यह भी दलील दी है कि प्रदर्श -5, यानी मृतक नन्हे लाल का बयान, जो दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया था, विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है।

16. विद्वान न्यायमित्र ने आगे यह दलील दी है कि यह 'सिंगल शॉट' (एक ही गोली) का मामला है, और इसलिए भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता को दोषी ठहराना और सजा देना उचित नहीं है। अंत में यह दलील दी गई है कि वर्ष 1989 में, जब दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता का बयान दर्ज किया गया था, तब उसकी उम्र लगभग 23 वर्ष थी। अब वह लगभग 60 वर्ष का एक वरिष्ठ नागरिक है, और उसका कोई भी पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वह 09.03.1990 से जमानत पर है।

17. विद्वान न्यायमित्र ने अपनी दलीलों के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय के दो निर्णयों का सहारा लिया—पहला मामला 'विरसा सिंह, अपीलकर्ता बनाम पंजाब राज्य, प्रतिवादी' (1958 0 एआईआर (एससी) 465) और दूसरा मामला 'जागे राम और अन्य बनाम हरियाणा राज्य' (2015 (11) एससीसी 366) का है।

18. सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने, अपीलकर्ता की ओर से पेश 'विद्वान न्यायमित्र' द्वारा दी गई दलीलों का जोरदार विरोध किया है। उन्होंने यह दलील दी है कि विद्वान न्यायमित्र इस मामले को भा.दं.सं. की धारा 299 (स्पष्टीकरण II) के तहत परिभाषित सदोष मानव-वध' की श्रेणी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस धारा में यह प्रावधान है कि यदि किसी शारीरिक चोट के कारण मृत्यु होती है, तो ऐसी चोट पहुँचाने वाले व्यक्ति को ही मृत्यु का कारण माना जाएगा—भले ही उचित उपचार और कुशल चिकित्सा के ज़रिए उस मृत्यु को रोका जा सकता था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



19. उन्होंने आगे यह भी कहा है कि यह हत्या का मामला है, जिसे प्रधान के चुनाव को लेकर पहले से चली आ रही दुश्मनी के कारण सोची-समझी योजना के तहत अंजाम दिया गया था—जैसा कि विचारण न्यायालय के सामने पीडब्लू-1 द्वारा साबित किया गया है—और इसलिए, भा.दं.सं. की धारा 300 के अपवाद 4 का लाभ भी अपीलकर्ता को नहीं दिया जा सकता। उन्होंने यह तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय का वह फैसला और आदेश, जिसमें अपीलकर्ता को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है, पूरी तरह से न्यायसंगत है।

20. विरोधी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, हम पाते हैं कि विद्वान न्यायमित्र की यह दलील कि मृतक को तुरंत इलाज नहीं दिया गया और उसे पहले पुलिस थाने ले जाया गया, जिसके कारण कीमती समय बर्बाद हुआ, उसमें कुछ मेरिट है; लेकिन हम यह भी पाते हैं कि चूंकि उस समय मृतक घायल था, इसलिए पुलिस के लिए यह ज़रूरी था कि वह उसके मेडिकल परीक्षण के लिए 'चिट्ठी मज़रूबी' तैयार करे और दे, क्योंकि यह एक मेडिको-लीगल (चिकित्सा-कानूनी) मामला था। इसके बाद, अपीलकर्ता को पुंखराया अस्पताल ले जाया गया और वहाँ से यू.एच.एम. अस्पताल, कानपुर ले जाया गया। उसके मामले को एल.एल.आर. अस्पताल, कानपुर रेफर किया गया और वहाँ से उसे मेडिकल कॉलेज, लखनऊ ले जाया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। बचाव पक्ष का यह तर्क नहीं है कि मृतक को उचित इलाज के लिए किसी बड़े अस्पताल में नहीं ले जाया गया था। मृतक को पहले नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद डॉक्टरों के निर्देशों पर उसे अन्य अस्पतालों में ले जाया गया, जिनका पालन किया गया, लेकिन अंततः उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। मृतक को लगी चोट की गंभीरता और आंतरिक क्षति, गवाह पीडब्लू-3, डॉ. वाई.एन. पाठक के बयान से स्पष्ट है। मृतक की गर्दन के पिछले हिस्से से 47 छर्ने बरामद किए गए थे। उसकी गर्दन की रीढ़ की हड्डियों सी-6 और सी-7 में फ्रैक्चर हो गया था। केवल एक चोट ही मृतक के लिए जानलेवा साबित हुई।

21. अपीलकर्ता के विद्वान विद्वान अधिवक्ता का *विरसा सिंह (उपरोक्त)* के फैसले पर अवलंब लेना गलत है। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर बताए गए फैसलों को पढ़ा है और पाया है कि वह फैसला मृतक के पेट में भाले से एक जानलेवा चोट पहुँचाने के बारे में था। सर्वोच्च न्यायालय के सामने यह दलील दी गई थी कि आरोपी का इरादा मृतक को जानलेवा चोट पहुँचाने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

का नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि एक बार जब चोट से उसे पहुँचाने का इरादा साबित हो जाता है, तो इसके विपरीत कोई अनुमान नहीं लगाया जाएगा, जब तक कि सबूत या हालात इसके विपरीत किसी नतीजे की माँग न करें।

22. माननीय विद्वान न्यायमित्र द्वारा जिस दूसरे निर्णय *जगराम (उपरोक्त)* का हवाला दिया गया है, वह हत्या के प्रयास से जुड़े मामले और अभियुक्त को सजा सुनाने तथा उसे उचित दंड देने के सिद्धांतों से संबंधित है। इस मामले में, विचारण न्यायालय द्वारा दी गई सजा में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपीलकर्ता को भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसलिए, यहाँ जिस मामले का हवाला दिया गया है, उसका इस मामले का निर्णय करने में कोई औचित्य नहीं है।

23. अपनी संतुष्टि के लिए, हमने अभियोजन पक्ष के गवाहों, बचाव पक्ष के गवाह और दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत आरोपी के बयान, और रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य दस्तावेजी सबूतों की जाँच की है। हमने पाया कि विचारण न्यायालय के सामने पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 द्वारा अभियोजन पक्ष का मामला साबित होने के अलावा, मृतक नन्हे लाल का एक बयान भी मौजूद है, जिसे उसकी मृत्यु से पहले दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत पीडब्लू-5, सब-इंस्पेक्टर दया राम वर्मा (जो इस मामले के विवेचना अधिकारी थे) द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। इस बयान की एक प्रति रिकॉर्ड पर लाई गई थी और उसे प्रदर्श ख-5 के रूप में प्रदर्शित किया गया था। उपर्युक्त बयान रिकॉर्ड किए जाने के बाद, मृतक नन्हे लाल की मृत्यु हो गई। कानून के अनुसार, इसी बयान को उसकी 'डाइंग डिक्लेरेशन' (मृत्यु-पूर्व बयान) माना गया है। विद्वान न्यायमित्र का तर्क तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, क्योंकि हमें विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड में प्रदर्श क-5 मिल गया है। उनका यह दावा कि यह बयान विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड से गायब है, गलत है। उपर्युक्त बयान घटना के तरीके को स्पष्ट रूप से बताता है और पीडब्लू-1 तथा पीडब्लू-2 के बयानों से पूरी तरह मेल खाता है। मृतक ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अपीलकर्ता के साथ 'बड़े' उर्फ रमेश भी मौजूद था। यह अपीलकर्ता, पप्पू उर्फ तेज कुमार ही था, जिसके हाथ में पिस्तौल थी और जिसने उस पर गोली चलाई थी। उसने आगे बताया कि उस समय उसका भाई, राम नाथ, होटल (यानी घटना स्थल) पर आया हुआ था। मृतक नन्हे की जाँच पीडब्लू-4 द्वारा यू.एच.एम. अस्पताल में पूर्वाह्न 00:45

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



बजे की गई थी, और उनकी रिपोर्ट से पता चलता है कि नन्हे लाल की गर्दन के पिछले हिस्से पर 3सेमी x 3सेमी का एक फटा हुआ घाव था, जो बाद में उनकी जान जाने का कारण बना।

24. हम पाते हैं कि यह प्रत्यक्ष साक्ष्य का मामला है, और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें अभियोजन पक्ष के मामले और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य पर अविश्वास करने के लिए विवश करे। विचारण न्यायालय का निर्णय पूर्णतः न्यायसंगत प्रतीत होता है, और उसके निष्कर्ष रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के उचित मूल्यांकन पर आधारित हैं। यह पुष्टि किए जाने योग्य है।

25. तदनुसार, विचारण न्यायालय का फैसला और आदेश एतद्वारा पुष्ट किया जाता है।

26. इस आपराधिक अपील में कोई मेरिट नहीं है और इसलिए, इसे खारिज किया जाता है।

27. अपीलकर्ता जमानत पर है। उसका बंध पत्र रद्द किए जाते हैं और उसके जमानतदारों को उन्मोचित किया जाता है।

28. वह तत्काल आत्मसमर्पण करे और अपनी शेष सजा पूरी करे।

29. इस फैसले की एक प्रति आवश्यक अनुपालन हेतु सी.जे.एम., कानपुर देहात को भेजी जाए और विचारण न्यायालय का रिकॉर्ड भी विचारण न्यायालय को वापस कर दिया जाए।

30. विद्वान न्यायमित्र अपनी पेशेवर फीस के रूप में 10,000/- रुपये पाने की हकदार हैं; यह राशि उन्हें उनके बिल प्रस्तुत करने के छह सप्ताह के भीतर अदा की जाएगी।

(न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

21 जनवरी, 2026

रोहित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।